बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या व.सं. / 20 / 2022– 143

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 23/02/2023

विषय – शीर्ष PMGSY योजनान्तर्गत पुल L035-Narganjo to Bakhoribathan (TRACK22) LSB-HL RCC Bridge Over Salkhan Jor के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0154 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि शीर्ष PMGSY योजनान्तर्गत पुल L035-Narganjo to Bakhoribathan (TRACK22) LSB- HL RCC Bridge Over Salkhan Jor के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0154 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झाझा का प्रस्ताव जाँचोपरान्त वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 0639-VIF-9/46R दिनांक 10.07.1946 द्वारा "आरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है। प्रस्तावित परियोजना का निर्माण कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झाझा द्वारा किया जाना है। परियोजना निर्माण के क्रम में 0.0154 हे० वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0 अंकित किया गया है साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 0.0154 हे० वन भूमि का अपयोजन होना है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में अंकित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन नहीं होना है।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित ब्रीज आरक्षित वन के अन्तर्गत अवस्थित है जिसमें दोनों तरफ प्राकृतिक साल वन अवस्थित है। प्रस्तावित ब्रीज लगभग–3 गांवों से जोड़ता है। संबंधित गांवों को जोड़ने हेतु यही एक विकल्प है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक वन से वृक्ष पातन की अधिकता है तथा ब्रीज से वृक्ष पातन में वृद्धि की प्रबल संभावना है। वन्यजीव जैसे खरगोश, मोर, सियार जैकाल इत्यादि दृष्टिगोचर पाया जाता है।

5. जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र Stage-I पत्र में अधिरोपित शर्त्तों के अनुपालन के साथ भेजा जायेगा।

6. अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

7. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.0154 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 14,750/– (रूपये चौदह हजार सात सौ पचास) मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. परियोजना निर्माण के क्रम में हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण एवं सम्पोषण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या–03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अद्यतन मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./48/2022–143 दिनांक– 23/02/2023

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झाझा/वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/2/23
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

शीर्ष PMGSY योजनान्तर्गत पुल L035-Narganjo to Bakhoribathan (TRACK22) LSB- HL RCC Bridge Over Salkhan Jor के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.0154 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का चेक लिस्ट–

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–II	संलग्न।
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
6	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।	संलग्न।
7	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन।	संलग्न।
8	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त है से संबंधित प्रमाण पत्र	संलग्न।
9	वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–III	संलग्न।
11	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–IV	संलग्न।

23/2/23

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।